न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 22/2005

(1) बज्जा उर्फ विजयसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत
(2) पेमा उर्फ प्रेमसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत मृतक जरिये वारिस

1. सोहन सिंह
2. गोपाल सिंह उर्फ गोपी
3. शंकर सिंह
4. बाबूसिंह
5. तेजपाल सिंह

   पुत्रगण प्रेमसिंह

6. सन्तोष पुत्री प्रेमसिंह
7. उमीदेवी बेवा पेमा उर्फ प्रेमसिंह
8. इन्द्रा पुत्री पेमा उर्फ प्रेमसिंह नाबालिग जरिये वलीया माता मु0 उमी बेवा प्रेमसिंह
   समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम गुवारडी तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) सोहनी पुत्री खींया पत्नि हरजीसिंह जाति रावत निवासी ग्राम बडलिया तालाब तहसील व जिला अजमेर
(2) नानी पुत्री खींया पत्नि हरदेव निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर
(3) रामप्यारी उर्फ नगारी पुत्री खींयां जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(4) मु0 गोमी बेवा खींया रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(5) हेमसिंह पुत्र खींया रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(6) भंवरसिंह पुत्र खींया रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(7) मल्लासिंह पुत्र खींया रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(8) मदनसिंह पुत्र खींया रावत निवासी ग्रान नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(9) गुमानसिंह पुत्र खींया रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(10) मु0 धन्नी बेवा नंगासिंह जाति रावत निवासी ग्रान नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(11) माधसिंह पुत्र नंगा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(12) लक्ष्मण सिंह पुत्र नंगा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(13) मु0 उमी बेवा उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(14) मोटासिंह पुत्र उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(15) मोहनसिंह पुत्र उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(16) मक्खनसिंह पुत्र उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(17) [illegible]नूसिंह पुत्र उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(18) नानूसिंह उर्फ सूरजमल पुत्र उगमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नेडलिया (पुष्कर), जिला अजमेर
(19) झूमी पति भेरू पुत्र उगमा जाति रावत निवासी ग्राम होकरा बडी (पुष्कर), जिला अजमेर
(20) भंवरी पत्नि उगमसिंह पुत्र उगमा जाति रावत निवासी ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर

......रैस्पोडेन्ट

तहसीलदार, अजमेर

अपील निर्णय विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री ....अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांक– 2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा ग्राम गुबारडी पटवार मण्डल रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर के खसरा नं0 334 (पुराने) नये 460 रकबा 02–19–00 तथा 461 रकबा 02–18–00 बाबत स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 03.09.2001 के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर में प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर ने प्रकरण संख्या 29/2005 उनवान बज्जा उर्फ विजयसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत व अन्य बनाम सोहनी पुत्री खींया पत्नि हरजीसिंह जाति रावत व अन्य दर्ज किया जाकर मा0 न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर दिनांक 03.10.2006 को निर्णय पारित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 03.09.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में लम्बित वाद के निस्तारण के अनुरूप नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पादित करें।

मा0 न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर के प्रकरण संख्या 29/2005 में परित निर्णय दिनांक 03.10.2006 की पालना में रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, अजमेर में दर्ज किया जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का रसूलपुरा से प्रकरण के समस्त जाइन्दा वारिसानों की जांच करवाई गई एवं सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किये गये।

पटवारी हल्का रसूलपुरा ने रिपोर्ट दिनांक 22.12.2019 से मौका पर्चा दिनांक 21.12.2019 प्रस्तुत किया। जिसमें मृतक बज्जा उर्फ विजयसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत के निम्न वारिसान बताये गये–

(1) बज्जा (फौत) उर्फ विजयसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत
  1/1 छोटी पत्नि (फौत) बज्जा
  1/2 मोहनसिंह पुत्र बज्जा
  1/3 गीता पुत्री बज्जा
  1/4 नारायण सिंह पुत्र बज्जा

(2) पेमा उर्फ प्रेमसिंह पुत्र बुद्धा जाति रावत मृतक जरिये वारिस
1. सोहन सिंह
2. गोपाल सिंह उर्फ गोपी
3. शंकर सिंह (फौत)
  3/1 गीतादेवी पत्नि शंकर सिंह
  3/2 पृथ्वीराज पुत्र शंकर सिंह
  3/3 साबर पुत्र शंकर सिंह
  3/4 आरती पुत्री शंकर सिंह

तहसीलदार, अजमेर

4. बाबूसिंह
5. तेजपाल सिंह

   पुत्रगण प्रेमसिंह
6. सन्तोष पुत्री प्रेमसिंह
7. उमीदेवी बेवा पेमा उर्फ प्रेमसिंह (फौत)
8. इन्द्रा पुत्री पेमा उर्फ प्रेमसिंह

प्रकरण में पटवारी हल्का रसूलपुरा से पुनः मौका जांच करवाई गई। पटवारी हल्का रसूलपुरा ने मौका पर्चा दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार ग्राम गुवारडी के ख0न0 591 व 592 के मौका पर फसल काश्त की हुई है। मौके पर उपस्थित खातेदार तेजपाल, गोपीसिंह पुत्र प्रेमसिंह व अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि उक्त भूमि पर हक सब खातेदारान जो कि जमाबन्दी के खाता सं0 138 व 66 में खातेदार दर्ज है का कब्जा है। उक्त खातेदारान ने यह भी अवगत कराया कि तत्कालीन समय में हमारे द्वारा सोहनी वगैरह के विरूद्ध वाद दर्ज किया था परन्तु हमारी आपसी सहमती से सोहनी वगैरह ने हम खातेदारान के पक्ष में बेचान कर दिया था एवं हमारे नाम नामान्तरकरण तत्कालीन समय में दर्ज होकर हम सब खातेदारान के नाम दर्ज है। अतः उक्त वाद खारिज योग्य है। मौका पर्चा पर उपस्थित भागचन्द, सुरेन्द्र सिंह, तेजपाल सिंह, सुवासिंह, नीम्बालाल, गोपी वगैरह के हस्ताक्षर किये हुए है।

अतः पटवारी हल्का रसूलपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 03.03.2020 में अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के अनुसार प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त करते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 10/06/2021 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)

तहसीलदार

एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट

अजमेर